2018

LAW OF EVIDENCE AND PROCEDURE साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि

Time Allowed: 3 hours

Maximum Marks: 150

समय

: 3 घण्टे

पूर्णांक

: 150

Marks are indicated against each question प्रत्येक प्रश्न के अंक अंत में दिए गए हैं

Answer six questions, taking two from Group—A, two from Group—B and one each from Group—C and Group—D

खण्ड—क से दो, खण्ड—ख से दो और खण्ड—ग तथा खण्ड—घ से एक-एक लेते हुए कुल छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए

GROUP-A

खण्ड--क

- 1. (a) Explain the meaning of the following: 15 निम्नलिखित के अर्थ समझाइए:
 - (i) Res sub judice न्यायाधीन
 - (ii) Interlocutory order अंतःकालीन आदेश

W9/52R

- (b) What is res judicata? In what circumstances the principle may be applied?

 पूर्व न्याय किसे कहते हैं? किन परिस्थितियों में यह सिद्धांत लागू किया जाता है?
- 2. (a) Explain the essential conditions relating to jurisdiction of civil courts.

 दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित आवश्यक तत्त्वों की व्याख्या कीजिए।
 - (b) A, residing in Delhi, publishes in Calcutta statements defamatory of B. In which place B can file a suit? Explain with relevant provisions.

 B की मानहानि करने वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला A कलकत्ते में प्रकाशित करता है। B किस जगह वाद दायर कर सकता है? सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए।
- 3. (a) Explain the essential elements of a decree and also examine the classes (types) of decree with illustrations.

 इिक्री के आवश्यक तत्त्वों को समझाते हुए उसके वर्गों (प्रकारों) का दृष्टांतों के साथ परीक्षण भी कीजिए।

(b) Write notes on the following : निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) Plaint and written statement वादपत्र तथा लिखित कथन
- (ii) Frame of suit

Oneshoppee-com GROUP-B

- 4. (a) Comparatively examine the doctrine of res gestae with provisions of Indian Evidance Act.

 रेस जेस्टे के सिद्धांत का भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के साथ तुलनात्मक परीक्षण कीजिए।
 - (b) Write notes on the following: 10 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:
 - (i) Plea of alibi अन्यत्र का तर्क
 - (ii) Fact in issue विवासक तथ्य
- 5. (a) Explain confession. How much of information received from accused may be proved? Discuss.

 संस्वीकृति को समझाइए। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकती है? स्पष्ट कीजिए।

10/COL/M/2018-05/52R

1	Explain the circumstances under which previous judgements are relevant. उन परिस्थितियों को समझाइए जिनमें पूर्व-निर्णय सुसंगत हों।	10
---	---	----

- 6. (a) Write notes on the following : 15 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (i) When is opinion of third person relevant अन्य व्यक्ति की राय कब सुसंगत होती है
 - (ii) Primary and secondary evidence प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य
 - (b) Explain the meaning of burden of proof.
 On whom burden of proof lies?
 Comment.

 सब्त के भार का अर्थ समझाइए। सब्त का भार किस पर
 होता है? स्पष्ट कीजिए।

GROUP—C Oneshopper.com

- **7.** (a) Write notes on the following : 10 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (i) Arbitration agreement माध्यस्यम करार
 - (ii) Settlement Agreement समझौता करार

(b) Explain the procedures relating to appointment of arbitrators.

मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए।

8. (a) Explain the provisions for setting aside 10 arbitral award.

मध्यस्थ पंचाट को निरस्त कराने हेतु उपबंधों की व्याख्या कीजिए।

(b) Write notes on the following : 10 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) Role of conciliator सुलहकर्ता की भूमिका

(ii) Application of Limitation Act, 1963 on arbitration.
माध्यस्थमों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 का लागू होना

GROUP-D

खण्ड—घ

9. (a) Under what circumstances police may arrest any person without warrant?
Explain.

किन परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? समझाइए।

10/COL/M/2018-05/52R

(b)	Examine the procedure of arrest and the duties of officer making arrest. गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी	10
	के कर्तव्यों का परीक्षण कीजिए।	
(a)	"For every distinct offence, of which any	

10. (a) "For every distinct offence, of which day person is accused, there shall be separate charge, and every such charge shall be tried separately." Explain. Are there any exceptions to this rule? Discuss.

10

"प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक् आरोप होगा और प्रत्येक ऐसे आरोप का विचारण पृथकतः किया जाएगा।" समझाइए। क्या इस नियम के कोई अपबाद हैं? विवेचना कीजिए।

(b) Write notes on the following: 10 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:

- (i) When bail may be taken in case of non-bailable offence अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकती है
- (ii) Inherent powers of High Court उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ

* * +